

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 7-11-2010

क्रमांक: एफ1-7/1/2010/नियम/चार, भारत के संविधान के अनुच्छेद, 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा, मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों के नियम, 38 (1) में शब्द “नब्बे” जहाँ-जहाँ भी आया है, उसके स्थान पर शब्द “एक सौ अस्सी” प्रतिस्थापित किया जाए ।

यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(जी.पी.सिंघल)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

Government of Madhya Pradesh  
Finance Department  
Mantralaya, Bhopal

NOTIFICATION

Bhopal, date *7 June* 2010

AMENDMENT


No.F 1-7/2010/Rule/IV. In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Service (Leave) Rules, 1977, namely :-

AMENDMENT

In Rule 38(1) of the said rules, the word "ninety", wherever occurring, shall be substituted by the word "one hundred eighty"

This amendment shall come in to force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the  
Governor of Madhya Pradesh



(G.P. Singhal)

Principal Secretary,  
Government of Madhya Pradesh  
Finance Department

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 1-7/2010/नियम/चार  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 7/7/2010

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी ) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।



(अजय चौबे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

(1)	(2)
3. All Deputy Transport Commissioner	158 (3), 158 (4), 202, 206 and 207."
4. All Assistant Transport Commissioner	
5. Regional Transport Officers	
6. Additional Regional Transport Officers	
7. Assistant Regional Transport Officers	
8. Transport Inspectors	
9. Transport sub-Inspectors	
10. Assistant Transport sub-Inspectors	

Note.—All officers specified in column (1) shall exercise all the powers prescribed under all Section mentioned in column (2)."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दिलीप राज द्विवेदी, उपसचिव

## अन्तिम नियम

### वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2010

क्र. 1-7-1-2010-नियम-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों के नियम, 38 (1) में शब्द "नब्बे" जहां-जहां भी आया है, उसके स्थान पर शब्द "एक सौ अस्सी" प्रतिस्थापित किया जाए.

यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

No. F-1-7-2010-Rule-IV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Service (Leave) Rules, 1977, namely :—

### AMENDMENT

In Rule 38 (1) of the said rules, the word "ninety", wherever occurring, shall be substituted by the word "one hundred eighty".

This amendment shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जी. पी. सिंघल, प्रमुख सचिव